अपील डीक्री / टी.ए. / 3563 / 2005 / जयपुर
राजस्थान सरकार बनाम मणिकान्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड–पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थिति :–
श्री आर.पी. शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट
श्री आत्माराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 28 जनवरी, 2018

निर्णय

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–4–2005 के प्रस्तुत की गयी है।

द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी / रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट / प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर, शाहपुरा के न्यायालय में एक दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि साबिक खसरा संख्या–904 रकबा 49 बीघा 8 बिस्वा नायन ग्राम में स्थित है, जो सिवायक में दर्ज था। इस भूमि में से सन 1965 में वादी के नाम क्रमशः 10 बीघा व 5 बीघा कुल 15 बीघा का आवंटन किया गया। इस आवंटन का नामान्तरकरण भी दिनांक 16–5–1973 को स्वीकार किया गया। वर्ष 1971 में वादी के नाम 15 बीघा भूमि का कब्जा संभला दिया गया। किन्तु राजस्व रिकार्ड खतौनी में 10 बीघा भूमि ही अंकित की गयी, जो भूमि वादी को संभलाई गई थी उसके हाल खसरा संख्या–1451, 1453, 1452, 2147/3801, 1455/3802, 1452 कुल किता 6 रकबा 3.69 हेक्टेयर बने हैं। जिसमें से खसरा संख्या–1451, 1453, 1452, 2147/3801 व 1455/3802 कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 हेक्टेयर वादी की खातेदारी में दर्ज कर दी गयी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा संख्या–1452 रकबा 1.06 हेक्टेयर वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं करके उसे सिवायचक दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार करते हुये निवेदेन किया कि खसरा संख्या–1452 उसके कब्जे की भूमि नहीं है, 1452 साबिक खसरा संख्या–903 व 904 से मिलकर बना है। खसरा संख्या–904 की जो भूमि खसरा संख्या–1452 में निहित थी, उसमें से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा संख्या–1452/3800 की 1.30 हेक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज कर दी गयी, शेष भूमि 1.06 हेक्टेयर को सिवायक दर्ज करने में भू प्रबन्ध विभाग ने कोई गलती नहीं की है। न्यायालय सहायक कलेक्टर, शाहपुरा ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तीन तनकीयात कायम कर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–1–2002 के द्वारा वादी का दावा डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट राज्य सरकार ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय व डिक्री दिनांक 16–4–2005 के द्वारा निरस्त कर दी गयी। यह द्वितीय अपील इस निर्णय से व्यथित होकर राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज किया है जबकि मियाद के बिन्दू पर निर्णय करने से पूर्व प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करना चाहिये। राजस्व अपील अधिकारी ने प्रकरण को गुणावगुण पर विचार किये बिना ही मियाद के बिन्दू पर निर्णय करते हुये अपील को निरस्त करने में भूल की है। रेस्पोन्डेन्ट का विवादग्रस्त आराजी में कब्जा काश्त नहीं है। विचारण न्यायालय के द्वारा तनकीयात तो बना ली गयी, किन्तु उन्होंने अपने निर्णय आदेश–20 नियम–5 के अनुसार नहीं दिया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–4–2005 एवं सहायक कलेक्टर, शाहपुरा का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–1–2002 को निरस्त किया जाकर वादी का दावा खारिज किया जावे। न्यायालय सहायक कलेक्टर, शाहपुरा ने अपने आदेश दिनांक 23–1–2002 में यह आदेशित किया है कि आराजी खसरा संख्या–1452 रकबा 1.06 हेक्टेयर गलत रूप से सिवायचक दर्ज की गयी है। यह भूमि वादी को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटितशुदा भूमि होकर वादी के कब्जा काश्त की भूमि है। जिसकी स्थिति नकल नामान्तरकरण गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने बाबत तहसीलदार का आदेश साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के अवलोकन से पुर्णतया पुष्टि होती है। अतः दावा वादी के पक्ष में डिक्री किया जाकर हाल खसरा संख्या–1452 रकबा 1.06 हेक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–4–2005 में यह माना है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 23–1–2002 को वादी का दावा डिक्री किया था। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने दिनांक 17–9–2002 को अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया है कि अपील पेश करने हेतु इजाजत मिलने पर ही मौजूदा अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी लापरवाहीवश नहीं होकर के उचित कारणवश है। जिससे कन्डोन कराने के अधिकारी प्रार्थी है। उक्त कन्डोन अंकन में देरी के कारणों का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–2–2002 की नकल लेने के लिये दिनांक 10–9–2002 को आवेदन किया है। देरी से नकल लेने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी / प्रतिवादी की उपस्थिति में पारित किया है। मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपील पेश करने की स्वीकृती लेने हेतु कब आवेदन किया, प्रशासनिक प्रक्रिया में कितने दिन लगे और कब स्वीकृति प्राप्त हुई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–1–2002 की नकल के लिये आवेदन ही दिनांक 10–9–2002को किया गया है और जिसका कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। जबकि निर्णय अपीलान्ट / प्रतिवादी की उपस्थिति में पारित किया गया था। मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये गये हैं, वह संतोषप्रद कारण नहीं है। न्यायालय का दृष्टिकोण दोनों पक्षों के लिये समान होना चाहिये। गुणावगुण की दृष्टि से भी विचारण न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिससे अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने केवल मियाद के बिन्दू पर ही प्रथम अपील को खारिज किया है। गुणावगुण पर केवल मात्र यह अंकित किया है कि विचारण न्यायालय में विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। जबकि प्रकरण को गुणावगुण पर भी देखा जाना चाहिये था। अतः अपील को स्वीकार करते हुये प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय करने के लिये प्रतिप्रेषित किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस के जवाब में बताया कि अपीलान्ट के द्वारा नकल लेने का प्रार्थना पत्र ही देरी से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले मियाद के बिन्दू पर ही सुनवाई की जानी होती है। जब प्रकरण को मियाद में शुमार नहीं किया जाता है तो प्रकरण को गुणावगुण पर देखे जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट को दिन–प्रतिदिन के कारणों का स्पष्ट उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में करना चाहिये। अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने केवल मियाद के बिन्दू पर ही अपील को खारिज किया है। गुणावगुण पर केवल मात्र यह अंकित किया गया है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि तकनिकी बिन्दूओं के आधार पर अपील को खारिज नहीं किया जाना चाहिये। गुणावगुण अवश्य देखा जाना चाहिये था। केवल यह लिख देना पर्याप्त नहीं है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। यदि उन्होंने गुणावगुण पर प्रकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का परीक्षण किया है तो उसकी विस्तृत विवेचना की जानी चाहिये थी। फलस्वरूप द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुये प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(चिरंजी लाल दायमा)** **सदस्य** **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य**	

अपील डीक्री / टी.ए. / 3563 / 2005 / जयपुर

राजस्थान सरकार बनाम मणिकान्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए